Form No.3
फार्म अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर
मोहनसिंह वगै. बनाम रामावतार

किस्म मुकदमा. प्रा. पत्र धारा 212 RTA नं0 54 ..सन् .2024 जीसीएमएस न0.

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.24	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिए रजिस्टर्ड डाक से जारी होवे। पत्रावली दिनांक 09.07.24 को पेश हो। (सचिन यादव) उपखण्ड अधिकारी भुसावर	
9/7/24	[illegible] [illegible] पेश पत्रावली [illegible] मुवा. [illegible] 10/7/24	
11.7.24	आज यह पत्रावली वादी द्वारा जारी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेश हुई मुतालिक प्रार्थना पत्र दावा में राजीनामा हो गया है अतः दावा वादी स्वयं द्वारा दायर करवाया गया जब दावा वादी स्वयं द्वारा दायर का चुका है तो प्रार्थना 212 RTA का चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थना 212 RTA की धारा में स्वयं द्वारा किया जाता है पत्रावली फैसल हुआ होकर नस्ती के योग्य है। सलाम रूबकार हो	गोहनसिंह

सचिन यादव
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (अलवर)